बिहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार, तिथि ३ अक्तूबर १९५५ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

राष्ट्रीय सेवा विस्तार योजना के पदाधिकारी की नियुक्ति।

†१९४५। श्री कुलदीप नारायण यादव—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी सबडिवीजन के सुरसंड थाने में राष्ट्रीय सेवा विस्तार योजना लागू की गई है, यदि हां, तो वहां के लिये असालतन ब्लौक डेवेलपमेंट पदाधिकारी की नियुक्ति अबतक हुई है;

(२) यदि हुई है, तो वे कौन हैं और वे अबतक उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर क्यों नहीं लेते हैं;

(३) क्या यह बात सही है कि सरकार का स्टाफ आज ६ मास से वहां बैठा हुआ है;

(४) उक्त ब्लौक में कितनी रकम की स्वीकृति हुई है तथा कबतक सरकार उसमें हाथ लगावेगी?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—(१) पहले भाग का उत्तर हां है।

सुरसंड थाने में एन० इ० एस० ब्लौक में कोई असालतन ब्लौक डेवलपमेंट आफिसर तैनात नहीं हुए हैं मगर श्री राम औतार चौधरी, सब-डिप्टी कलक्टर सीतामढ़ी उस एन० इ० एस० ब्लौक के चार्ज में हैं और अपने काम के साथ इस काम को भी करते हैं।

(२) यह सवाल नहीं उठता है।

(३) इसका उत्तर नकारात्मक है। एन० इ० एस० ब्लौक में जो काम होता है उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट जून, १९५२ तक की रिपोर्ट पुस्तकालय के टेबुल पर रख दी गयी है।

(४) इस ब्लौक में दो लाख दो हजार छः सौ पैंसठ रुपया खर्च के लिए मौजूदा साल में दिया गया है और इसके अनुसार काम आरम्भ कर दिया गया है।

---

†सदस्य की अनुपस्थिति में श्री दारोगा प्रसाद राय के अनुरोध पर उत्तर दिया गया।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

दि बिहार म्युनिसिपल बिल, १९५५ को पुरःस्थापित करने के लिये अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भोला पासवान—अब मैं बिहार म्युनिसिपल बिल, १९५५ को सभा के सामने पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष—बिहार म्युनिसिपल बिल, १९५५ पुरःस्थापित हुआ।

इटकी ट्युबरक्युलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग्स) (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ (१९५५ की वि० सं० ८)

THE ITKI TUBERCULOSIS SANATORIUM (REGULATION OF BUILDINGS) (AMENDMENT) BILL, 1955 (BILL NO. 8 OF 1955).

श्री भोला पासवान—अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि इटकी ट्यूबरक्युलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन आफ बिल्डिंग्स) (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करने की तिथि २० मई १९५५ से ३ अक्टूबर १९५५, तक बढ़ा दी जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

इटकी ट्युबरक्युलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन आफ बिल्डिंग्स) (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करने की तिथि २० मई १९५५ से ३ अक्टूबर १९५५ तक बढ़ा दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भोला पासवान—अब मैं इटकी ट्युबरक्युलोसिस सेनेटोरियम (रेगुलेशन आफ बिल्डिंग्स) (अमेंडमेंट) बिल, १९५५ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

अध्यक्ष—प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थित हुआ।

बिहार प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट आफ ऐनिमल्स बिल, १९५३ (१९५३ की वि० सं० ३०)।

THE BIHAR PRESERVATION AND IMPROVEMENT OF ANIMALS BILL, 1953 (BILL NO. 30 OF 1953).

*श्री बैजनाथ सिंह—अध्यक्ष महोदय, क्लाज ३ में जो प्रोवीजो है मैं उसका विरोध करता हूं। इस प्रोविजो में दवा तथा चिकित्सा और रिसर्च के लिए वध करने की बात है, इसलिए मैं यह नहीं समझता हूं कि इसका रहना इस प्रोविजो में

जरूरी है। पहले भी हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में जहां इस तरह का कानून बनाया गया है उसमें ऐसा प्रोविजन नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिहार का पब्लिक ओपिनियन इसके बिल्कुल खिलाफ है। हम मानते हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह अच्छा है, लेकिन इसका उद्देश्य के पीछे पब्लिक ओपिनियन नहीं है। उद्देश्य अच्छा होते हुए भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे लोगों के दिल में दुख हो। मुझे भी अच्छा नहीं मालूम होता है इसलिए मैं इस प्रोविजो का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष—यह संशोधन है और इस संशोधन का आप समर्थन करते हैं।

श्री बैजनाथ सिंह—जी हां, इस संशोधन का मैं समर्थन करता हूं।

श्री गुप्तनाथ सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे अनेक मित्रों ने इसके बारे में बातें कही हैं इसलिये मैं भी संक्षेप में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बात यह है कि जब कानून बनाया जाता है तो उसके व्यवहार की कल्पना होनी चाहिये। यदि व्यवहार की कल्पना पहले कर ली जाय तो कानून को कार्यान्वित करने में दिक्कतें नहीं होंगी। जब यह विधान कर दिया जायेगा कि लेबोरेटरी वर्क के लिए, रिसर्च वर्क के लिए, अनुसंधान कार्य के निमित्त गो-बध किया जा सकता है तो परिणाम यह होगा कि अनावश्यक भी लोग गो-बध करने लग जायेंगे। औषधि के काम का, शोध के काम का बहाना बनाकर लोग गो-वध करने लगेंगे और वे कहेंगे कि वे रिसर्च कर रहे हैं और इसलिए गाय, बैल, बछड़े का वध करते हैं। मेरा निवेदन यह है कि मनुष्य की चिकित्सा की जाती है लेकिन मेडिकल कालेज में किसी जीवित मनुष्य को काट कर उससे प्रशिक्षण का काम नहीं लिया जाता है। वे अपना शिक्षण का काम मेढ़क के द्वारा करते हैं और बाईलौजी में भी शिक्षा इसी मेढ़क के द्वारा दी जाती है।

अध्यक्ष—सभा में किस तरह बैठना चाहिये और किस तरह काम करना चाहिये यह भी शायद अध्यक्ष को बताने की जरूरत है।

एक सदस्य—जी हां।

अध्यक्ष—तो बता दिया गया है।

श्री गुप्तनाथ सिंह—तो शरीर की रचना की शिक्षा के लिए मेढ़क का अंग प्रत्यंग काट कर बतलाया जाता है। इस तरह से मानव के शरीर की चिकित्सा की जानकारी के लिए ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। पशु-चिकित्सा के लिए वेटेरिनरी कौलेज में जो शिक्षा दी जाती है वहां भी जीवित पशु को काट कर शिक्षा नहीं दी जाती है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता अभी नहीं है और न आगे ही पड़ेगी। कानून बनाने के पहले ही इसको बिना जांच-पड़ताल कहना कि इसकी आवश्यकता है, हमें यह नहीं जंचता है कि इसकी आवश्यकता होगी। दूसरी बात यह है कि क्या माननीय मंत्री से वेटेरिनरी सर्विस के डाइरेक्टर या वेटेरिनरी कॉलेज के प्रिन्सिपल ने कभी इसकी

माँग की कि चिकित्सा या अनुसंधान के लिए जीवित गाय को मारने की आवश्यकता है जिसके लिए आप विधान बना रहे हैं, माननीय मंत्री इसे बतलावें और यह भी बतलाने की कृपा करे कि जीवित गाय के वध बिना हमारा काम सुचारू रूप से नहीं चलेगा, ऐसी बात उनलोगों ने कभी कही है। मैं जानता हूं कि सीरम वगैरह जो बनाया जाता है वह बकरी और भेड़ के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन गाय और बैल को नहीं काटा जाता है। ऐसा कभी नहीं सुना गया है कि जीवित पशु को चीर-फाड़ कर इस तरह से दवा बनाई जाती हो। यूरोप और अमेरिका में जहां के लोग त्याग की भावना रखते हैं और मानव कल्याण के लिए वे अपने प्राणों की बलि भी चढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वहां भी अध्ययन के लिए ऐसा नहीं किया जाता है। हां, वहां मृतक शरीर के द्वारा यह काम किया जाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस चीज को हटा दें, जिससे ऐसा न हो कि अनुसंधान और चिकित्सा का बहाना लगाकर गोवध हो। बहुत लोगों का कहना कि रेक्टिफायड स्पिरिट दवा के काम में आता है। हमारे एक डाक्टर मित्र ने बतलाया है कि रेक्टिफाइड स्पीरिट में मृतक मनुष्यों के टुकड़े रखे जाते थे, उसे वहां के काम करने वाले लोग यानी चांडाल लोग इसको पी जाया करते थे।

अगर पूछते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं तो वे कहते थे कि इसमें शराब है इसमें नशा का आनन्द मिलता है इसलिए करते हैं। मैं समझता हूं कि कुछ लोग चिकित्सा के नाम पर गो-मांस का रसास्वादन भी करने लग जायंगे। न तो दवा बनेगी, न शोध ही का निर्माण हो सकेगा। इसलिए औषधि और शोध का काम मरे हुए बछड़े या गाय पर निर्धारित किया जाय और जीवित को इसमें नहीं रखा जाय। माननीय मंत्री इसको सम्हाल भी नहीं सकेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो संशोधन दिया गया है वह मान लिया जाय

श्री महावीर राऊत—माननीय अध्यक्ष महोदय, ओरिजिनल बिल में यह प्रोविजो

नहीं था, सेलेक्ट कमिटी ने इसे लिया है। यह पवित्र बिल था परन्तु यह प्रोविजो लगाकर इसको अपवित्र कर दिया गया है। लेकिन हमें मालूम है कि लोग कानूनी दायरे में जाकर नाजायज फायदा उठाना चाहेंगे। यहां कहा गया है कि अनुसंधान और दवा के काम के लिए गाय को मारा जा सकता है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं क्योंकि दवा के लिए अच्छी-अच्छी चीजों की जरूरत होती है। मेरा देश कृषि प्रधान देश है। हम गाय बैल के बिना खेती नहीं कर सकते हैं। दवा में अच्छी-अच्छी चीजें दी जाती हैं। अच्छी चीजों की जरूरत होती है। हमारे लायक दोस्त जो लोग गाय के मांस खाने वाले हैं वे इसी की आड़ में आकर, डाक्टरों से नुस्खा लिखाकर यह कहेंगे कि हमारी बीबी, हमारे भाई, हमारे बेटे को डाक्टर ने कहा है कि गाय का मांस खाओ। इससे देश का कल्याण नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरा अर्ज है कि इस क्लौज को नहीं रखा जाय, इसे डिलिट कर दिया जाय नहीं तो लोग इसका नाजायज फायदा उठाएंगे। अब मैं अर्ज करता हूं कि रिसर्च के लिए भी डाक्टरों या आयुर्वेद के जानने वाले लोगों से राय ली जाय अगर इसके बदले दूसरी चीज हो सके तो उसको रखना चाहिए। दवा के लिए बैलों या गायों ही को मारना जरूरी है, ऐसी नहीं होना चाहिए। हुजूर, यह तो मालूम है कि हमलोग मनुष्यजाति इतने उदार हैं कि दवा के काम में अपना खून भी दे देते हैं, जरूरत पड़ने पर मनुष्य अपना खून भी दे देता है। आपने देखा होगा कि हाल ही में स्वर्गीय पंडित प्रजापति मिश्र की बीमारी में श्री रामलखण यादव, एक माननीय सदस्य जी, ने अपना खून देकर उनकी रक्षा की। तो डाक्टरी

तरीके से खून निकाल कर दवा दी जा सकती है ऐसा जरूरी नहीं है कि इसे मार ही दिया जाय। हम तो इतने उदार हैं कि अपना खून भी दे सकते हैं। डाक्टरी तरीका से खून का इस्तेमाल किया जाय ऐसा इंतजाम क्यों नहीं किया जाय? मैं इस बिल के इस क्लौज का विरोध करता हूं, इसे हटा दिया जाय।

श्री पुरुषोत्तम चौहान—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

यह जो क्लौज (२) में लिखा हुआ है कि: no person shall slaughter a cow, the calf of a cow, a bull or a bullock :

Provided that nothing in this section shall apply to allow the slaughter of any such animal for any medicinal or research purposes.

अभी हमारा देश विज्ञान में बहुत पिछड़ा हुआ है और यह संशोधन कहता है कि यदि जरूरत पड़े भविष्य में गाय या बछड़ा को वध करने के लिए तो यह एक रास्ता दवा बनाने का अभी से क्योंकर बंद कर दें। आज हमारे देश में दवा बनाने की जो इंडस्ट्री है वह खूब डेवलप हो रही है। अब भिन्न-भिन्न तरह की दवाओं की जरूरत पड़ेगी वह बनाना मुश्किल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी से यह दरवाजा बंद नहीं कर दिया जाय। आपको मालूम है कि बंदरों के ऊपर भी इसी तरह का प्रयोग हो रहा है और लाखों-लाख बंदर विदेशों को भेजे जा रहे हैं। कुछ दवायें ऐसी भी होती हैं जिनको बछड़ों के ऊपर प्रयोग करना पड़ता है। इस वजह से मेरा ख्याल है कि मेडिसिनल परपसेज के लिए और रिसर्च के लिए कोई तरह की कानून रुकावट अभी से नहीं करनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस तरह की योजना हमारी सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जरूर रखेगी। अभी रांची में पाश्चर इंस्टिच्यूट है। वहां पर तरह-तरह के प्रयोग हो रहे हैं। हो सकता है कि भविष्य में हमलोगों को जरूरत पड़े। इसलिए कानूनी रीति से दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए और इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस क्लौज में एक अमेंडमेंट इस तरह से लगा दे "रूल्स फ्रेम्ड बाई दी गवर्नमेंट"। अगर आप इसमें रुकावट लाना चाहते हैं कि गोवध न हो तो इस तरह का अमेंडमेंट लाना जरूरी है। रूल्स में डिटेल्स रह सकते हैं। मेरा इतना ही निवेदन है कि विज्ञान के लिए जरूरत पड़े तो हमारी धार्मिक भावना थोड़ी दूर करनी पड़े तो करनी चाहिए। मनुष्य की उन्नति पहले है तब पशुओं की उन्नति की बात आती है। हमारे वेद और शास्त्र बताते हैं कि दधीची ऋषि ने भी अपना मांस दे दिया था मनुष्य के उद्धार के लिए। इस तरह यदि हमलोग मनुष्य को न दे सकें तो रिसर्च के लिए कम-से-कम गौ और बछड़े को दे दें तो कोई भारी बात नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस अमेंडमेंट का घोर विरोध करता हूं।

अध्यक्ष—श्री सरयू प्रसाद सिंह ने एक संशोधन की सूचना अभी दी है।

इस संशोधन की सूचना बाजाप्ता देने का समय नहीं रहा। लेकिन इस संशोधन पर हर माननीय सदस्य को विचार करने का और बोलने का अधिकार है; क्योंकि अभी तक इसकी सूचना किसी को दी नहीं गई है। मैं इसे पढ़ देता हूं, इसमें उनका मतलब यह है कि जो परन्तुक है उसके बदले में एक नया परन्तुक जोड़ा जाय जो इस प्रकार है—

"Provided that the State Government may by general or special order and subject to such conditions as it may think, to impose, allow the slaughter of any such animal for any medicinal or research purposes."

मैं उचित समझता हूं कि इस संशोधन पर माननीय श्री दीपनारायण सिंह प्रकाश डालें और इसके बाद जो माननीय सदस्य इसपर बोलना चाहें उन्हें बोलने का अधिकार होगा । इसका मतलब यह है कि इस संशोधन को, इतनी देर करके देने पर भी, मैं मान लेता हूं ।

श्री सरयू प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संशोधन धारा ३ में पेश करना चाहता हूं कि जो परन्तुक धारा ३ में मौजूद है उसके स्थान पर यह नया परन्तुक रखा जाय :

"Provided that the State Government may, by general or special order and subject to such conditions as it may think to impose, allow the slaughter of any such animal for any medicinal or research purposes."

श्री दीप नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन पहले से पेश है और जो अभी पेश हुआ है उसके संबंध में मुझे कुछ ज्यादा कहना नहीं है । मैं माननीय सदस्यों से केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि दवा के लिए और रिसर्च के लिए गाय और गाय के बछड़े के शरीर से कभी-कभी कुछ खून निकाला जाता है । लेकिन वहां मारने की मनशा नहीं रहती है । भारतवर्ष में जहां-जहां इस तरह की संस्थाएं बनी हुई है वहां यह काम होता है....

अध्यक्ष—लेकिन आपने तो स्लौटर शब्द रखा है ।

श्री दीप नारायण सिंह—मैं इसपर आता हूं ।

बराबर तो नहीं लेकिन कभी-कभी इस तरह से खून दवा के लिए निकालने से जानवर मर जाते ह । अगर हम अपने सूबे में इस तरह की क्रिया जारी रखें तो इस बिल के पास होने के बाद शोध के लिए किसी जानवर पर कोई क्रिया नहीं कर सकेंगे चूंकि इसमें मरने का भय रहता है । हमलोग जब स्लौटर शब्द का विचार कर रहे थे तो हमलोगों ने साफ तौर से यही समझा कि स्लौटर शब्द में इस तरह की किलिंग और इस तरह का मारना आ जाता है ।

अध्यक्ष—यदि कोई आदमी लाठी से किसी कमजोर गाय को मारे और वह मर जाय तो क्या यह कहा जा सकता है कि वह स्लौटर हुआ ?

श्री दीप नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, स्लौटर के संबंध में जब अर्थ लगाया जा रहा था कि इसमें सभी तरह की किलिंग का समावेश है तो माननीय सदस्यों को ऐसा भी ख्याल था कि इस स्लौटर शब्द का यह अर्थ नहीं हो । लेकिन माननीय सदस्यों ने स्लौटर शब्द का यह अर्थ मान लिया है तो अब जब हमलोग शोध करने लगेंगे और संयोग से जानवर की मृत्यु हो जायगी तो हमारे लिए यह कानून बाधक बन जायगा और हम शोध नहीं कर सकेंगे और दवा बनाने के लिए गाय या बछड़े का खून नहीं निकाल सकेंगे । जब ऐसा प्रचलित है और हमारे माननीय सदस्य श्री गुप्त नाथ सिंह इस विषय के माहिर हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि हिन्दुस्तान में जहां-जहां ऐसी संस्थाएं हैं

वहां खून से दवा बनायी जाती है। दूसरे राज्यों ने जहां इस तरह का कानून बनाया है, वहां भी इस तरह का अपवाद रखा गया है।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि जब मूल बिल पेश हुआ था तब उसमें इस तरह का अपवाद नहीं था। पहले के बिल में केवल गाय और गाय के बछड़े का बध रोकने का विधान था। लेकिन अब जबकि हमलोग गाय, बैल, बछड़ा और सांढ़ सभी के बध को रोक रहे हैं तो इसके लिए यह अपवाद रखना जरूरी है।

अध्यक्ष—गाय के बदले में आप बुल रख दीजिए।

श्री दीप नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, वैज्ञानिकों की राय है कि इसमें कोई नया अपवाद नहीं लगाया जाय और गाय, बैल, बछड़ा तथा सांढ जो शोध करने वाले हैं उनको छोड़ दिया जाय कि उनके खून से काम लिया जायगा। मैं इस संबंध में अवश्य कह सकता हूं कि इससे कभी बध करने की इच्छा नहीं होगी और जहां तक बध पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है लगाया जायगा। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से दरखास्त करूंगा कि इस प्रोविजो को हटाने का जो संशोधन पेश हुआ है इसे वे कबूल नहीं करें। श्री सरयू प्रसाद ने जो संशोधन पेश किया है उसे मैं मान लेता हूं।

श्री बिन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक संशोधन इसी आशय का था, इसलिए अभी जो संशोधन हमारे मित्र श्री सरयू प्रसाद ने पेश किया है, इसका मैं समर्थन करता हूं। इस विषय में पहले कहा जा चुका है कि विज्ञान की उन्नति के लिए हमारे यहां आवश्यकता हो सकती है कि कभी स्लौटर किसी हालत में अनिवार्य हो जाय।

अध्यक्ष—आप मैन स्लौटर भी चाहते हैं?

श्री बिन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल—जो कुछ भी होता है, वह आदमी के लाइफ को प्रोलौंग करने के लिये होता है। विज्ञान के आविष्कार भी मैन के लाइफ को प्रोलौंग करने के लिये किया जाता है। कितने ही लोगों ने आविष्कार करते समय अपनी जान भी दे दी है। एक खास जहर है जिसके टेस्ट के पता लगाने के लिये साइनटिस्टों ने अपनी जान दे दी है, कभी-कभी मैन का भी स्लौटर होता है। लेकिन अभी बिल काउ स्लौटर के बारे में है, इसलिये मैं इसी के ऊपर कहता हूं। मौजूदा प्रोविजन जो बिल में है, वह ठीक नहीं है। माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव दिया है कि अंडर सरटेन रूल्स टू बी फ्रेम्ड बाइ दी गवर्नमेंट और सरकार का आर्डर पहले लेना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होगा तो बहुत से लोग नीम हकीम खतरे जान की तरह मेडिसिनल परपसेज का बहाना लेकर गो बध करेंगे। इसलिये बिल में जो मौजूदा प्रॉविजन है उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं माननीय सदस्य के संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री केशव प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी ने बताया कि मेडिकल रिसर्च के लिये इतना खून लेना पड़ता है जिससे कभी-कभी जानवर मर भी सकते हैं। इस-लिये इस खतरे से बचने के लिये वे इस प्रॉविजन को रखना चाहते हैं। मेरा कहना

यह है कि आदमी के शरीर से भी खून लिया जाता है लेकिन इस प्रकार का प्रॉविजन नहीं है । फिर मंत्रीजी को यह खतरा क्यों मालूम पड़ता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । यदि यह प्रॉविजन रहने दिया जायगा तो लोगों में इसका खराब प्रयोग होना शुरू हो जायगा । जब हमारे मंत्रीजी रिसर्च इंस्टीच्युट खोल लेंगे और अपना काम शुरू करेंगे तो वे संशोधन ला सकते हैं । लेकिन इस बिल को पास करने के समय इस संशोधन को रखने की कोई जरूरत नहीं है । मैं मंत्रीजी से अपील करता हूं कि वे इस पर ठंढे दिल से विचार करें क्योंकि यह बेकार है और इसकी कोई जरूरत नहीं है ।

श्री गुप्तनाथ सिंह—अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो पीछे से दिया गया है उसे एक शब्द में द्राविड़ी प्राणायाम कहा जा सकता है । सच बात यह है कि इसके अनुसार गो-वध का प्रकारांतर से विधान किया गया है । मंत्रीजी कहते हैं कि अनुसंधान के लिये खून लिया जाता है और अधिक खून लेने से जानवर मर भी सकते हैं । मेरा कहना यह है कि बहुत से पुरुष और स्त्रियां ब्लड बैंक में अपना खून देते हैं, कभी-कभी किसी की मृत्यु भी हो जाती है । लेकिन इसके लिये सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है । कानून में है कि किसी भी आदमी का वध नहीं किया जा सकता है । जब इसके लिये कोई उपबंध नहीं है तो इन बेचारी गौओं के लिये यह उपबंध क्यों लगाया जा रहा है । आजतक मैंने यह नहीं सुना है कि किसी अनुसंधानकर्त्ता ने यह मांग की हो कि हमको गो-वध की आवश्यकता है । सिद्धांत यह है कि अनुसंधान के लिये मृतकों का शव लिया जाता है । पोस्ट मार्टम भी शव का किया जाता है । यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश के कानून में इस तरह का उपबंध है लेकिन यदि कोई एक आंख का काना हो तो हम अपनी दोनों आंखें देखा-देखी में नहीं फोड़ेंगे । हम आंख खोलकर अपना काम करेंगे और अपनी बुद्धि से काम लेंगे । हमारे मंत्रीजी ने कहा है कि यह हमारे लिये प्रथम चरण है । इसलिये मैं भी कहता हूं कि " जेहि गिरि चरण देहीं हनुमंता, सो चली गयउ पताल तुरन्ता ", के अनुसार जब जब चरण आवेगा, आप उसमें संशोधन ला सकते हैं । आप बाद में अश्व, बिल्ली आदि का बध रोक सकते हैं । भारतवर्ष, अमेरिका या योरोप में कोई भी प्रयोगशाला नहीं है जहां इस तरह का काम होता हो । यह बात सही है कि यु० पी० ने इस प्रकार का प्राविजन रखा है लेकिन ग्वालियर और मध्य भारत ने अपने कानून में इस तरह का कोई उपबंध नहीं लगाया है । यदि किसी राज्य ने ऐसा किया है तो वह हमारे लिये आदर्श और अनुकरणीय नहीं है । हमें अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिये । यदि यह संशोधन पास हो गया तो लोगों में इसका बुरा असर पड़ेगा । अतः मैं इसका विरोध करता हूं । इधर से नाक छूना या उधर से, दोनों एक ही बात है । लोगों में इसका घोर विरोध होगा । इस तरह छुपकर गो-वध की व्यवस्था करना सरकार के लिये बहुत दुःखद होगा ।

(अन्तराल)

*श्री इगनेस कुजूर—अध्यक्ष महोदय, इस बिल का जो प्रॉविजन है कि गाय बैल रिसर्च परपस के लिए या मेडिसिनल परपस के लिए बध किया जा सके, इसका मैं समर्थन करता हूं और यह जो अमेंडमेंट है उसका विरोध करता हूं । समर्थन करते हुए मुझे यह कहना है कि जितने भी यहां पर अमेंडमेंट्स आये हैं उनके विषय में जितनी दलीलें दी गयी हैं उनमें यह बताया गया है कि इस प्रोवाइजो को रखने से गो-वध

किसी-न-किसी सूरत में होता ही जायगा और कानून की मंशा पूरी नहीं होगी। तो इस संबंध में मुझे यह कहना है कि किसी सूरत में जब आप गाय और बैल का बध बिलकुल बंद कर देना चाहते हैं तो मुझे वही बात याद आती है जिसको मैंने पहले ही कहा है। आप चाहते हैं कि किसी सूरत में गोवंश को कोई छू न सके और उसका नाश हो ही न सके। आप चाहते हैं कि गोवंश का किसी सूरत में नाश नहीं हो, और इसको पूरा करने में चाहे स्टेट का काम हो या न हो, या चाहे कितने ही आदमी खत्म हो जायं, आप इसको सहन करने को तैयार हैं। इस तरह मैं समझता हूं कि इसमें आपकी एक भावना है और उसके चलते आप गोबध बंद करना चाहते हैं।

अध्यक्ष—क्या आप प्रावाइजो पर बोल रहे हैं? इसमें भावना की क्या बात है?

श्री इगनेस कुजूर—आप इस बिल को आगे चल कर देखेंगे तो पता चलेगा कि इस बिल को पास करने का इरादा आपकी भावना ही है।

अध्यक्ष—सदस्य को यह कहना मुनासिब नहीं है। सदस्य जो बोलते हैं उसका अर्थ यही है कि सभी सदस्य उनकी राय मान लें। पहले ही यह कहना कि हमारे सदस्यों का यह इरादा है, सही नहीं है। मैं आपको बोलने की इजाजत देता हूं इसलिए कि सदस्य लोग आपकी राय मान लें।

श्री रामचरित्र सिंह—उन्होंने यह कहा होगा कि मेरा अनुमान है।

श्री इगनेस कुजूर—आप आगे चलकर देखेंगे कि इसमें कास्ट्रेशन का प्राविजन है।

अध्यक्ष—यह यहां असंगत है। आपको प्रोवाइजो पर बोलना है।

श्री इगनेस कुजूर—मैं प्रोवाइजो पर बोल रहा हूं और मैं देखता हूं कि रिसर्च परपस के लिए गाय बैल का इस्तेमाल किया जाता है और वे कभी-कभी मर भी जाते हैं। बहुत-से माननीय सदस्यों का कहना है कि जब गाय बैल मारे जायेंगे तो बहुत से लोग कह देंगे कि मिडिसिनल परपस के लिए मारे गये हैं और इस कानून का दुर्व्यवहार होगा और कानून की मन्शा पूरी नहीं होगी। मेरा कहना है कि आपके राज्य में ऐसी संस्था है जहां गाय-बैल का व्यवहार रिसर्च और मेडिसिनल परपस के लिए किया जाता है।

अध्यक्ष—कौन-सी संस्था है?

श्री इगनेस कुजूर—भैक्सिनेशन इन्स्टीच्युट है। भैक्सिनेशन परपस के लिए बैल और गाय का इस्तेमाल सुविधाजनक होता है। भेंड़ बकरी से भी काम चलता है लेकिन इसमें सुविधा होती है, नम्बर कम लगता है। इस प्रोसेस में वे मर भी जाते हैं। आप कहेंगे कि भैक्सिनेशन गाय बैल से नहीं निकाला जाय और भेंड़ बकरी

से काम लिया जाय। मैक्सिनेशन आदमी से भी निकाला जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस भावना को लेकर जा रहे हैं।

अध्यक्ष—इसमें भावना की बात कहां से आती है ?

श्री इगनेस कुजूर—इस प्रोवाइजो का मैं समर्थन करता हूं। मैं नहीं कहता कि मुझे इससे असंतोष है। मैं दिखला देना चाहता हूं कि यह इस राज्य के लिए गलत कदम है। यह बात सही है कि........

अध्यक्ष—आप किस प्रोवाइजो को मानते हैं ?

श्री इगनेस कुजूर—बिल में जो प्रोवाइजो है उसी पर मैं बोल रहा हूं और उसी का समर्थन करता हूं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं 'स्लौटर' शब्द के बारे में। स्लौटर का माने है

"to kill some animal with a purpose to achieve it."

जो मेडीसिनल परपसेज और रीसर्च परपसेज के लिए बछड़ा का व्यवहार किया जाता है वह अक्सर मर ही जाता है लेकिन उसको कोई खाता नहीं है। किसी सूरत से यह प्रोविजन बिल में न रहे इसका मैं विरोध करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप देखें तो

castration is also more or less a serious process

वह स्लौटर से बढ़कर चीज है।

अध्यक्ष—शांति, शांति। कास्ट्रेशन की बात इररेलिवेन्ट है। यहां इसके बारे में आप न बोलें।

श्री इगनेस कुजूर—मैं यह कहना चाहता हूं कि मेडीसिनल परपसेज के लिए या रीसर्च परपसेज के लिए यह चीज है और इसमें यह बात सही है कि गायें-बैल मर जायेंगे तो आप जबरदस्ती यह हिसाब कर लेते हैं कि उसका वध हो जायगा।

अध्यक्ष—स्लौटर के बदले में आप यूस का शब्द क्यों नहीं रखते हैं ?

श्री इगनेस कुजूर—मैं यूस का शब्द रखने के लिए तैयार हूं। आप समझ रहे हैं कि खाने के लिए स्लौटर के सम्बन्ध में यह दलील पेश कर रहा हूं। ऐसी बात नहीं है। मैं इसको बिलकुल मानने के लिए तैयार हूं कि स्लौटर के बदले में यूस का शब्द रहे।

अध्यक्ष—नहीं, आप मेरी बात न मानें आप बिल की बात को मानें।

श्री इगनेस कुजूर—इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री नन्द किशोर नारायण—अध्यक्ष महोदय, इस प्रोवाइजो से कोई लाभ होने को नहीं है बल्कि इससे गोबध को रोकने के लिए जो कानून बनाया जा रहा है इसके जरिए वह मंशा पूरी नहीं होगी। साइंटिस्ट और भ्रष्ट अफसरों को एक मौका मिल जायगा और आजकल की दुनिया में विशेषज्ञों अथवा अफसरों का सर्टिफिकेट ले लेना कोई बड़ी चीज नहीं है। सरयू बाबू के अमेंडमेंट का सिर्फ इतना ही मतलब होगा कि स्पेशल ऑर्डर और कुछ शर्त्तों के साथ गोबध रीसर्च के बहाने किया जा सकता है। आज के युग में हमने जिस विषय में साइंटिस्टों की शरण ली हम उसमें सफल नहीं हो सके। हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय, कि कुछ दिन पहले डालडा के सम्बन्ध में यह बात कही गयी थी कि यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अहितकर है लेकिन साइंटिस्ट ने यह साबित कर दिया है कि इससे बढ़कर दूसरा पौष्टिक पदार्थ हमलोगों के लिए हो ही नहीं सकता है। सरकार ने जिन दिक्कतों की बात की है उसमें कोई तथ्य नहीं है और मैं समझता हूं कि सरकार इस प्रोभाइजो को हटा ले। मैं सरकार से सहमत हूं कि रिसर्च किया जाय परन्तु रिसर्च के लिए मरडर (हत्या) करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिसर्च के लिए आपको केवल खून चाहिये आखिर मनुष्य के शरीर पर भी तो रिसर्च होता है। मनुष्य भी तो खून डोनेट करते हैं लेकिन उनकी जान नहीं ली जाती है। मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे सुझाव को मान लेगी। यदि खून लेने या अन्य काम करने में मवेशी मर जाय तो वह जान-बूझकर हत्या नहीं हुई।

*श्री गदाधर प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, इस राज्य की जनता की बहुत बड़ी चाह थी कि इस राज्य के आर्थिक हित में गोबध बन्द किया जाय और इसी उद्देश्य से सरकार ने यह बिल सभा के समक्ष लाया है। परन्तु खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि इस प्रोभाइजो के द्वारा गोबध करने के लिए एक ब्लैक मार्केट सरकार खोलने जा रही है। यह रिसर्च के नाम पर गोहत्या को आप यदि मान्यता देने जा रहे हैं तो आप जान लें कि बहुत जल्द इस राज्य के हर गांव में और हर इलाके में जितने बूचरखाना हैं वे सब रिसर्चशाला बन जायेंगे और यह मेडिकल रिसर्च के नाम पर सरकार बराबर बदनाम होती रहेगी। ओरिजिनल बिल में यह चीज नहीं थी। साथ ही सरकार के नौकरों की इनएफीसियेन्सी छिपाने के लिए यह बहुत अच्छी तरकीब है। आज के आधुनिक युग में बिना जानवरों का कोई अनहित किये उनके शरीर से आप रिसर्च के लिये खून ले सकते हैं तो फिर उनकी हत्या करने की क्या जरूरत है। हां, इतनी बात अवश्य है कि जहां आप पांच जानवर रखते हैं वहां आपको १० जानवर रखना होगा। आज अगर मुर्गियों पर रिसर्च होने लगे तो आपके अफसरान रिसर्च के नाम पर रोज दस-बीस मुर्गियों को मारकर अपने लिए मुर्ग मोसल्लम का इन्तजाम कर लेंगे।

जब यह तय बात है कि जनता गोहत्या को नहीं चाहती है तो आपको क्या हक है कि रिसर्च के नाम पर गोहत्या को मान्यता दें। अधिकांश लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो गो को मार कर अपने लिए दवा का उपलब्ध होना नहीं पसन्द करेंगे साथ ही यह मेडिकल रिसर्च का विषय है और इससे पशु-पालन-मंत्री को क्या सम्बन्ध हो सकता है। जिस तरह हमलोगों ने मनुष्य के शव सम्बन्धी एक कानून पास किया है उसी प्रकार यदि आवश्यकता होती तो माननीय चिकित्सा मंत्री इसके लिये एक विधेयक लाते तो सभा उस पर विचार करती।

हिन्दुओं की एक बहुत बड़ी जमायत है जिसको यह साफ इन्कार नहीं है कि गाय को वगैर मारे दवा करें। यह बात अगर हो कि जब तक गाय या मवेशियों का खून नहीं हो तबतक आदमी को बचा नहीं सकते हैं तो एक बात होती। लेकिन यह भी नहीं कहते हैं। इसलिए लेबोरेटरी के लिए भी मुनासिब नहीं है कि गाय का या मवेशियों का खून हो।

मैं इन कारणों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रस्तावक इसको वापस ले लें नहीं तो हमलोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी लाचारी हो जायगी।

श्री हृदय नारायण चौधरी—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो श्री सरजू प्रसाद जी ने संशोधन उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और अभी जो बिल में प्रॉव्हीजन रखा गया है कि

"Provided that nothing in this Section shall apply to the slaughter of such animal for any medicinal or research purposes,"

इसका मैं विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, श्री सरयू प्रसादजी के अमेंडमेंट से जिसको सरकार ने मान लिया है वर्त्तमान बिल के प्राव्हीजन का इम्प्रूवमेंट हुआ है, वह इस पर इम्प्रूवमेंट है।

अध्यक्ष—यह इम्प्रूवमेंट है इस सेन्स में कि सरकार अब आज्ञा देगी गाय मारने के लिए।

श्री हृदय नारायण चौधरी—अभी जो क्लाज है उसके अनुसार दवा के लिए कोई भी आदमी गाय को मार सकता है, लेकिन इस अमेंडमेंट से यह होगा कि सरकार की आज्ञा प्राप्त करनी होगी कि सचमुच दवा के लिए ही गाय को वह आदमी मारना चाहता है और तभी वह मार सकेगा; उसका वध कर सकेगा।

अध्यक्ष—वध नहीं कर सकेगा, खून लेकर भी काम चलाया जा सकता है।

श्री हृदय नारायण चौधरी—स्लौटर शब्द का इस्तेमाल है इस क्लाज में जिसका अर्थ हुआ कि कोई भी दवा के लिए गाय, बैल, बछड़ा या बछिया को मार सकता है। इस परिस्थिति में अगर क्लाज जैसा अभी बिल में है स्वीकार कर लिया जाय तो इसका बहुत दुरुपयोग हो सकता है और जिस उद्देश्य के लिए यह कानून बनाया जा रहा है वह विच्छिन्न हो जायगा।

अध्यक्ष—जो प्रोव्हाइजो है उसका आप क्या विरोध कर रहे हैं?

श्री हृदय नारायण चौधरी—जी हां, और श्री सरजू प्रसादजी के संशोधन का मैं समर्थन करता हूं चूंकि उससे वर्त्तमान क्लाज पर इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसलिए मैं कहूंगा कि श्री सरजू प्रसादजी का अमेंडमेंट मान लिया जाय।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि माननीय सदस्य सेलेक्ट कमिटी के मेम्बर भी थे।

श्री रामानन्द तिवारी—वे सर्वोदयवादी हैं इसलिए उनको अधिकार होना चाहिये कि उस पर बोलें।

श्री हृदय नारायण चौधरी—अध्यक्ष महोदय, सरकार ने संशोधन को मान लिया है इसलिए मैं बोलता हूं।

अध्यक्ष—अगर हस्ताक्षर करके भी कोई सदस्य चाहे कि अपनी राय बदल दें तो क्यों नहीं वह ऐसा करे? लेकिन पहले कह देना चाहिये कि मैं अपनी राय बदलता हूं।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—हां, हुजूर, यहां तो हमारा ट्रेडीशन रहा है कि अपनी राय बदलते रहते हैं।

श्री हृदय नारायण चौधरी—हुजूर, पत्थर भी अपनी ओपीनियन नहीं बदलता है तो इंसान को तो समझकर बदलना ही चाहिये।
It is fools who never change their opinion.

अध्यक्ष—और उसी के अनुसार सरकार को भी अपनी राय बदलनी पड़ती है।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—सरकार ने अपनी राय बदल दी इसलिए यह अपनी राय बदलेंगे।

श्री हृदय नारायण चौधरी—मेरे कहने का मतलब यह था कि माननीय मंत्री को संशोधन समर्थन करने के लिए जब हुजूर ने इजाजत दी तो मुझको भी अधिकार होता चाहिये कि मैं अपनी राय बदल सकूं। तो जैसा मैं कह रहा था, हुजूर, कि इस सेक्शन का दुरुपयोग होगा अगर बिल में रखे गये प्रॉव्हीजन को मान लिया जाय और संशोधन को मान लेने से सरकार सोच-विचार कर दरियाफ्त करके ही आज्ञा दे सकती है।

अध्यक्ष—तो क्या मैं आपका विचार यह समझूं कि यदि बदलने का प्रस्ताव सरकार मान लेगी तब आप उसके साथ होंगे और नहीं मानेगी तो आप प्रोव्हाइजो का विरोध करेंगे?

श्री हृदय नारायण चौधरी—यह बात सही है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि सरजू बाबू का संशोधन मान लिया जाय ताकि यह कानून जिस काम के लिये बनाया जा रहा है और जो इसका उद्देश्य (परपस) है वह सिद्ध हो।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसी आपकी आज्ञा हो चुकी है यह मै पहले ही कह देना चाहता हूं कि मैं सेलेक्ट कमिटी का मेम्बर था लेकिन उस वक्त जो बातें हुई थीं उनका मै जिक्र कर देना चाहता हूं।

अध्यक्ष—नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—बहुत अच्छा; मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मौजूदा प्रोव्हाइजो बहुत unhappily and unpleasantly worded है। जैसा यह रखा गया है वह कनफ्यूजिंग और कंफाउंडिंग है और इससे लिटिगेशन बढ़ेगा। रिसर्च और मेडिसिन के लिये ......

अध्यक्ष—यह तो कहा जा चुका है।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—बहुत अच्छा, यह मैं नहीं कहूंगा। तो जिस तरह की भाषा दी गई है वह ठीक नहीं है। अगर सरकार चाहती है जैसी राय हमलोगों ने दे दी है कि गवर्नमेंट की लेबोरेटरी में अगर जरूरत हो तो उस काम के लिए इन जानवरों का उपयोग किया जा सकता है लेकिन उससे जानवर का स्लौटर करना आवश्यक नहीं है, उनके कुछ खून ले लेने से जानवर की मृत्यु नहीं हो सकती है। सदस्यों के भाषण से ऐसा भी मालूम होता है और सरकार की ओर से भी इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बिना गोवंश के वध किये रिसर्च संभव नहीं है, ऐसी हालत में इस प्रोभीजन को रखना जरूरी है।

माननीय सदस्यों का जैसा भाषण हुआ है उससे तो यही मालूम होता है कि इस तरह का प्रोविजन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार की मंशा क्या है उसका स्पष्टीकरण होना चाहिये। ऐसी परिस्थिति में मेरा अपना ख्याल है कि इस प्रोविजो को ओमिट कर देना चाहिये। अगर मेडिकल परपसेज के लिए इसकी जरूरत हो तो जिस तरह डेड बडीज के लिये, बिल लाया गया है उसी तरह का एक बिल यहां पर पेश हो और हमलोग उस पर विचार करके उस पर अपनी मंजूरी देंगे। लेकिन अभी जिस परिस्थिति में इस बिल को हमलोग पास कर रहे हैं उसमें गोवंश के स्लौटर की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। अभी इसके जरिये गोवंश के टोटल स्लौटर को बन्द किया जा रहा है लेकिन इस प्रोविजो के जरिये हमलोग इसके लिए एक रास्ता खोल रहे हैं और ऐसा होने से जनमत विरुद्ध हो जायगा। इसलिए इस प्रोविजो को हर दृष्टिकोण से से हटा देना चाहिये।

श्री मुहम्मद ताहिर—हुजूरवाला, अभी जो प्रोविजो हमलोगों के सामने पेश है उसके बारे में हमारे हृदय नारायण चौधरी ने कहा है कि यह प्रोविजो एक इम्प्रूव्ड प्रोविजो है लेकिन मेरे जानते इस प्रोविजो सीधे नाक न छूकर घुमा कर नाक छूई जा रही है।

अध्यक्ष—इसको तो श्री गुप्तनाथ सिंह कह चुके हैं।

श्री मुहम्मद ताहिर—अभी सवाल यह है कि काउ का स्लौटर होना चाहिये या नहीं और इस हाउस में इस पर विचार हो चुका है। यहां पर इसके ताईद में यह भी कहा जा चुका है कि अगर कोई आदमी काऊ को मारे और देखनेवाला उसको बचाने में अपनी जान भी दे दे तो अच्छा होगा। स्लौटर करके सिर्फ खून ही नहीं लिया जाता है बल्कि उसके हार्ट और लीवर को चीर-फाड़ करके एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है और देखा जाता है कि वहां पर क्या-क्या चीजें हैं।

अध्यक्ष—यह काम तो मुर्दा हो जाने के बाद ही किया जाता है।

श्री मुहम्मद ताहिर—जानवर के मरने के बाद ही आपरेशन करके हार्ट और लीवर को निकाला जाता है और उन पर एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के नाम पर मारने के लिये एक हथियार सरकार हाथ में रखना चाहती है। किसी भी हालत में इसके लिये प्रोविजन नहीं रहना चाहिये।

*श्री मुकुन्द राम तांती—अध्यक्ष महोदय, अभी जो दो तरह के अमेंडमेंट, एक ओरिजिनल प्रोविजो और दूसरा इम्प्रूव्ड प्रोविजो के नाम पर हाउस के सामने हैं, मैं दोनों का विरोध करता हूं और इस तरह का प्रोविजन इस बिल में नहीं रहना चाहिये। जब निरोध हो रहा है तो सम्पूर्ण तरीके से काऊ स्लौटर का निरोध होना चाहिये। जिस अमेंडमेंट के जरिये अभी इस प्रोविजो का इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि किसी खास-खास जगह में कसाईखाना रहेगा और जब कसाईखाना खुलेगा तो उसके लिये मैनेजर भी बहाल होगा और उसको मारने के लिए लाइसेन्स मिलेगा और वहां पर गाय काटी जायगी। वहां पर रिसर्च और मेडिकल परपसेज के नाम पर गाय मारी जायगी और जब गाय मारी जायगी तो उसके खाने वाले लोग वहां से मांस खरीद कर खायेंगे। जब मारने के लिए लाइसेन्स दे दीजियेगा तो कितनी गायें मारी जायंगी, इस पर कोई रोक-थाम नहीं रहेगी और न उनको मारने के लिए ही कोई आदमी पकड़ा जायगा। कहा जाता है कि बीमारी के रिसर्च के लिए उनको मारा जायगा। लेकिन आदमियों में भी टी० बी०, प्लेग और हैजे की बीमारी होती है लेकिन किसी भी आदमी को रिसर्च के लिए नहीं मारा जाता है बल्कि मरे हुए आदमियों पर ही रिसर्च होता है। किसी भी आदमी को मार कर और रिसर्च करके तब उस बीमारी की दवा नहीं निकाली जाती है। तब फिर गाय को ही मार कर क्यों उन पर इस तरह का रिसर्च होगा। एनाटोमी में भी आदमी को चीरा और फाड़ा जाता है लेकिन मरे हुए आदमियों पर ही इस तरह का एक्सपेरिमेंट होता है। इसी तरह से मरे हुए गाय या बैल पर आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जिस तरह से आदमी के लिए अनक्लेम्ड बडीज बिल लाया है उसी तरह से मेडिकल मिनिस्टर की ओर से इसके लिए मरे हुए गाय या बैल के बडीज के लिए एक अलग बिल उपस्थित होना चाहिये था। अगर आपको एक्जामिनेशन और एक्सपेरिमेंट करना है तो मुर्दा गाय या बैल पर कर सकते हैं और गाय या बैल को मारने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रोविजो को तो देख कर मुझे गुस्सा आता है। इस तरह के प्रोविजो को रखने का तो मतलब यही हो सकता है कि अगर यह देखना हो कि बर्त्तन से पानी चूता है या नहीं तो उसमें एक सूराख करके देखा जाय कि पानी चूता है

या नहीं। ऐसा करने से तो वर्त्तन का पानी खतम हो जायगा। इसी तरह से यह प्रोविजो इस बिल का लिकेज है और इसको यहां से हटा कर इस लिकेज को बंद करना चाहिये।

दूसरा सेन्टीमेंट पर भी इसको यहां से हटा देना चाहिये।

अध्यक्ष—सेन्टीमेंट के बारे में तो बहुत कहा गया है।

श्री मुकुन्द राम तांती—तब मैं दोनों अमेंडमेंट का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि यहां से इस प्रोविजो को हटा दिया जाय।

श्री मोहिउद्दीन मुखतार—अध्यक्ष महोदय,

"That the proviso to clause 3 of the Bill be omitted,

मैं इसका विरोध करता हूं। बात यह है कि एक जमाना बहुत रोज कबल था जब कि एलोपैथिक का इस्तेमाल नहीं था और आयुर्वेदिक दवा से काम चलता था। जो नया तरीका एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया उसी के आधार पर अब दवा-दारू होती है। मौजूदा हालत में चेचक यानी स्मौल-पौक्स की बीमारी सबसे ज्यादा यहां होती है। हर साल की बीमारी की रिपोर्ट देखी जाय तो पता चलेगा कि आस-पास के प्रांतों में और खासकर बिहार में चेचक की बीमारी सबसे ज्यादा होती है। अगर यह बीमारी एक बस्ती में शुरू होती है तो बस्ती के बस्ती इससे आक्रांत हो जाते हैं और उस हालत में बिना टीका लिए काम नहीं चलता है। और जब तक इस बीमारी का दूसरा इलाज नहीं निकलता है तबतक टीका देना जरूरी है। सैकड़ों आदमियों को इस बीमारी से बचाने के लिये वैक्सिनेशन देना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन को मालूम है और आपको भी मालूम है कि धर्मराज युधिष्ठिर को महाभारत युद्ध के मौके पर एक स्थल पर झूठ बोलना पड़ा था। अध्यक्ष महोदय, यह भी सदन को मालूम है कि नेपाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि बिहार सरकार को कहा जाय कि वह नेपाल के रहनेवालों को स्मौल-पौक्स से बचाने के लिए टीका का प्रबन्ध करे जिस पर केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार से अनुरोध किया और बिहार सरकार ने वहां के लोगों को टीका दिलवाने का प्रबन्ध कराया। इसकी वजह से वहां हजारों की संख्या में लोग चेचक से बचे। चूंकि बिहार में इसका डिपो है इसलिए बिहार सरकार ने नेपाल की मदद की। इसलिए जबतक कोई दूसरा आविष्कार नहीं होता है तबतक इसे जारी रखा जाय। दूसरी बात यह है कि इससे मांस खाने वालों को कोई सुहूलियत नहीं रहेगी कि वे आसानी से परमिशन लेकर लेबोरेटरी से मांस ले आवें। विधायकों को कानून पर विश्वास रखना चाहिये कि कानून सब के फायदे के लिए बनायी जाती है। मैं संशोधन प्रस्ताव का विरोध करता हूं किन्तु सरयू बाबू के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भोला नाथ भगत—मैं श्री सरयू प्रसाद के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उनके संशोधन में काफी सेफगार्ड है और जो कानून का मतलब है उसका दुरुपयोग नहीं होगा। आजकल वैज्ञानिक लोग जो रिसर्च करते हैं वे सब यूसलेस हैं। लेकिन सारी दुनिया इस बात को मानती है कि वर्तमान युग में

यानी साइन्स के युग में जितनी दवाएं निकलती हैं वे सब रिसर्च के आधार पर निकलती हैं। इसीलिए अभी रिसर्च का स्कोप इस वैज्ञानिक दुनिया में बहुत ज्यादा वाइड है।

अध्यक्ष—क्या आप इसका समर्थन कर रहे हैं,

श्री भोलानाथ भगत—जी हां, मैं इसका समर्थन करता हूं क्योंकि इसमें सेफगार्ड है। अध्यक्ष महोदय, नामकुम में एक वैक्सिन इन्स्टीट्यूट है जहां सैकड़ों बाछे, बाछी यानी छोटे-छोटे काफ के शरीर से वैक्सिन निकाला जाता है। हालांकि यह बहुत क्रूएल एफेयर है। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि आज से पचीस वर्ष पहले जितनी बीमारी चेचक की यहां थी, वह आज बहुत घट गयी है। वैकसिन शब्द का अर्थ है कि काऊ को मारना, और बिना मारे यह तैयार नहीं हो सकता है। माननीय मंत्री ने बतलाया कि स्लौटर शब्द से बहुत बड़ा सेन्स निकलता है। अनइन्टेशनल और इन्टेशनल दोनों ही तरह से मारे जाने पर स्लौटर कीं मानें के अन्दर आ जाता है। वैक्सिन बनाने में यदि कोई बाछा मर जाय तो उस पर स्लौटर का चार्ज आयगा। मान लिया जाय कि वैक्सिनेशन डिपो जो नामकुम में हैं उसको बन्द कर दिया जाय तो इसका क्या असर होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं।

अध्यक्ष—अभी तो इस पर रोक नहीं है।

श्री भोलानाथ भगत—लेकिन इसकी थ्योरी तो इस प्रकार है—

"Those people who are in close contact with cows do not suffer from small-pox."

"Those who milch cows are immune from this disease.

इसी आधार पर वैकसिन का रिसर्च हुआ। इसका नाम प्रोहिबिशन आफ काऊ स्लौटर नहीं है, प्रिजर्व करना है और इम्प्रूव करना है। कहा जाता है 'विषं विषस्य परमौषधि' यह देखा जाय हुजूर, इनके जो एफेक्टेड पार्ट्स होते हैं जहां बीमारी का कीटाणु है उसी से सेरम बनता है और उस पार्ट को निकाल कर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। मान लीजिए कि आदमी का ख्याल नहीं करते हैं हमें वेटेनरी का एक्सपेरिमेंट करना है, जानवर को इम्प्रूभ करने के लिए या रोग को अच्छा करने के लिए। अगर हमें कोई नई दवा निकालनी है तो वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर भी सेरम तैयार किया जाता है और किसी अंश को लेकर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो सारे विज्ञान का जो स्कोप है अगर हम थोड़ा-सा जैसा कहा कि गो का अन्धभक्त होकर विज्ञान का और रिसर्च का जो स्कोप है बन्द कर उससे आंख मूंद लें तो यह किस तरह का विचार है, मुझे समझ में नहीं आता। इसका दुरुपयोग नहीं होगा क्योंकि जो रजिस्टर्ड फर्म्स हैं या लेबोरेटरीज उन्हीको लाइसेंस दिया जायगा। गवर्नमेंट अभी यह कानून पास कर रही है कि गो का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो वही गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर क्यों इसू करेगी जिससे काऊ का स्लौटर हो जाय। गवर्नमेंट तो तभी ऑर्डर इसू करेगी जब गोवंश की रक्षा हो। दो-एक गोवंश के मारने पर भी यदि हजारों की रक्षा हो तो यही करना अक्लमन्दी का काम है। उसके इम्प्रूवमेंट के लिए जब जरूरत होगी वैसी हालत में गवर्नमेंट आदेश देगी। इसलिए सरयू बाबू का जो संशोधन है वह सही व दुरुस्त है।

श्री दीपनारायण सिंह—जहां तक मुझे इस संशोधन के ऊपर विशेषज्ञों की राय मिली है उस राय के अनुकूल इस प्रोविजो का रहना बहुत जरूरी है। इसके नहीं रहने से हमारा काम रुकेगा लेकिन मैं देख रहा हूं कि माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया है और चाहते हैं कि प्रोविजो किसी रूप में न रहे। अगर आपकी आज्ञा हो तो आज इस पर विचार स्थगित किया जाय। फिर भी मैं विशेषज्ञों की राय ले लूंगा और तब फिर दूसरे दिन इस पर बहस की जाय और फिर भी जो विशेषज्ञों की राय होगी उसे मैं सभा के सामने रखूंगा।

अध्यक्ष—आप अगर खंड (३) पर विचार स्थगित करते हैं तो (४) पर भी स्थगित करना होगा; क्योंकि (३) और (४) में जो संशोधन हैं उनमें सम्बन्ध मालूम पड़ता है। इसलिए मेरी राय है कि खंड (३) और (४) स्थगित हो।

श्री योगेश्वर घोष—माननीय मंत्री के कहने के अनुसार (३) और (४) क्यों स्थगित करेंगे? हमलोग तैयार होकर आये हैं।

अध्यक्ष—अध्यक्ष को अधिकार है कि किसी क्लौज को स्थगित कर दूसरे क्लौज को ले। मैं बिल पर विचार स्थगित नहीं करता हूं। सभा की आज्ञा हो चुकी है कि इस पर खंडशः विचार हो इसलिए इस बिल के विचार को मैं नहीं रोकता हूं।

श्री योगेश्वर घोष—इस क्लौज पर समूचा बिल हैंग करता है।

अध्यक्ष—ऐसी बात नहीं है। चैप्टर (३) प्रिजर्वेशन ऐंड कंट्रोल आफ कन्टेजस डिजीज है। यहां स्लौटर की बात नहीं आती है, यहां कंटेजस डिजीज की बात है। चैप्टर (४) इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइवस्टौक बाई लाइसेंसिंग आफ ब्रिडिंग बुल्स। चैप्टर (५) पर जब हमलोग पहुंचेंगे तब फिर विचार कर लेंगे। चैप्टर (३) पर कोई अमेंडमेंट नहीं है।

श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल—मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्लौज (४) के बाद क्लौजेज इनसर्ट करने के मेरे भी और कई मित्रों के भी संशोधन हैं। ये संशोधन गोसदन के सम्बन्ध में हैं। अगर उन पर विचार बाद में हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

अध्यक्ष—जब आपने संशोधन दिया है तो हरएक संशोधन पर विचार होगा। ऐसा आपने क्यों समझ लिया कि बिना सोचे, बिना समझे वह संशोधन खत्म हो जायगा। जो संशोधन आये हैं उन पर विचार होगा। यहां नादिरशाही तो नहीं है कि बिना विचार किये आपका संशोधन गिर जायगा।

श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल—मुझको भय था कि यथासमय खड़े नहीं होने की वजह से कहीं लैप्स कर जाय। इसी से मैंने इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि—

खंड ५, ६, ७, ८ और ९ प्रवर समिति द्वारा यथा दोबारा प्रतिवेदित इस विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५, ६, ७, ८ और ९ विधेयक के अंग बनें।

अध्यक्ष—खंड १०।

Shri GUPTANATH SINGH: Sir, I beg to move:

That in sub-clause (2) of clause 10 of the Bill, the words "if such owner or his authorised agent pays any expenses calculated in the prescribed manner incurred for the upkeep of the animal up to the date of its release" be deleted.

अध्यक्ष महोदय, यह प्रत्येक सरकार का कर्त्तव्य है कि चाहे मनुष्य हो या पशु, यदि उसमें कोई रोग हो जाय तो सरकार उसकी समुचित चिकित्सा करे और समुचित चिकित्सा करने में विशेष प्रकार की जो चिकित्सा होती है, जैसे यक्ष्मा रोग या दूसरे प्रकार के रोग की, जिसमें अधिक व्यवस्था की जरूरत होती है, और उसके खर्च को सरकार सहन कर सकती है तो जानवरों के लिए सरकार क्यों नहीं खर्च सहन करेगी। सामान्य चिकित्सा में सरकार अस्पताल में लोगों पर दवा, भोजनादि के लिए खर्च करती है और उसकी व्यवस्था करती ह और चिकित्सा होने के बाद उसके लिए सरकार दवा या डाक्टरों की फीस के लिये रोगी से खर्च नहीं लेती है। किन्तु मैं देखता हूं कि यहां पर अगर सरकार द्वारा रोगी जानवरों की चिकित्सा होगी और जब लोग अपने पशु को वापस लेने आयेंगे तो उनसे फीस ली जायगी। अगर जेनरल अस्पताल में दवा और डाक्टरों की फीस के लिए रोगियों से उसका खर्च वसूल करने लग जायं तो हम कुछ समझ भी सकते हैं। लेकिन पशु बेचारे जो मारे-मारे फिरते हैं, जिनकी रक्षा करने वाले कोई नहीं हैं, उनकी यदि सरकार चिकित्सा करेगी और उस पर खर्च करेगी तो उस पर जो खर्च होगा उसे लोगों से वसूल करने लगे तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। आपको स्मरण होगा कि जब इसी सदन में एग्रीकल्चर पेस्ट्स डिजीज बिल आया था तो सरकार की तरफ से उसमें (सबसिडी) आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई थी। इसी तरह से मैं यहां भी समझता हूं कि यहां भी व्यवस्था होनी चाहिये कि सरकार की तरफ से जो खर्च हो, वह खर्च गाय या अन्य पशुओं के मालिक से वसूल नहीं किया जाय। यही सरकार का कर्त्तव्य होना चाहिये।

श्री दीप नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा क्लौज है वह क्लौज नं० १ के प्रोविजो से सम्बन्ध रखता है। प्रोविजो में उन जानवरों की चर्चा है जो एक तरह से अवारा फिरते पाये जायेंगे और जिनके गिरफ्तार होते समय उनका कोई मालिक नहीं होगा उनकी चिकित्सा अलग की जायगी और जब कभी उनके मालिक उन्हें वापस लेने आयेंगे तो उनसे मुनासिब खर्च लेकर जानवर वापस कर दिए जायेंगे। अगर मैं श्री गुप्तनाथ सिंह के संशोधन को मान लेता हूं तो नतीजा यह हो सकता है कि चिकित्सा कराने के बहाने आम तौर पर लोग जानवरों को अवारा छोड़ देंगे। जो सुझाव हमारे दोस्त ने दिया है मैं उन्हें ध्यान में रखूंगा और इस संबंध में जब रूल बनाये जायेंगे

तो ऐसे उपाय किये जायंगे कि बाद में जो खर्च मांगा जाय वह इतना ज्यादा नहीं हो कि देने के लायक न हो सके। इसलिए में आशा करता हूं कि हमारे दोस्त अपने संशोधन को वापस कर लेंगे ताकि इससे कोई दिक्कत पैदा नहीं हो।

श्री गुप्तनाथ सिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी जो एग्रीकल्चरल पेस्टस डिजीज का हवाला मने दिया उसका जो उपबन्ध है उसे मैं पढ़ देता हूं, वह इस प्रकार है—

"The State Government may grant such subsidy as may be prescribed to an occupier who carries out the preventive or remedial measures contained in the order of the Agricultural Officer, subject to any order in appeal under this section."

जिस समय यह बिल पेश हुआ था तो ऐसी व्यवस्था थी कि खेत में जो रोग होंगे उनको दूर करने में जो उपाय किया जायगा सरकार इसके लिए खर्च लेगी। लेकिन जब हमलोगों ने अपना मत रखा तो सरकार ने उसे मंजूर कर लिया और उसके बाद यह इबारत जोड़ दी गई कि बिहार सरकार सबसिडी देगी। मंत्री महोदय का यह कहना तो ठीक है कि लोगों से ज्यादा खर्च नहीं लिया जायगा लेकिन फिर भी जब ऐसा उपबन्ध है तो क्या समझा जाय। माननीय मंत्री ने कहा है कि लोग अपने जानवरों को अवारा छोड़ देंगे तो ऐसा वही कर सकता है, जो अपने पशुओं से प्रेम नहीं रखता हो, जो खुद अवारा हो।

अध्यक्ष—यह तो दोनों के लिए है। सब-क्लॉज २ और १ में भी अपलाई करेगा प्राविजो में भी एप्लाई करेगा।

श्री गुप्तनाथ सिंह—यह बात ठीक है कि सरकार की तरफ से ऐसा नियम बनेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि जो चिकित्सा के बाद वापस आवें उनसे फीस न ली जाय।

अध्यक्ष—सरकार की सलाह आपको मंजूर नहीं है?

श्री गुप्तनाथ सिंह—सरकार मेरी बात मान ले तो ठीक है।

श्री दीप नारायण सिंह—मैंने बताया कि नियम कुछ ऐसा बनाया जायगा जिससे जानवर रखने वालों पर अधिक बोझा नहीं पड़ेगा। एकदम फी कर देना मुनासिब नहीं है। म अपने दोस्त से आग्रह करूंगा कि वे अपने संशोधन को उठा लें।

श्री गुप्तनाथ सिंह—यदि पैसा सम्पन्न व्यक्तियों से लिया जाय तो ठीक है लेकिन निर्धन व्यक्तियों से पैसा लेना ठीक नहीं है, क्योंकि अपने इलाज के लिए तो उनके पास पैसा नहीं रहता है, तो वे पशुओं की चिकित्सा कैसे करा सकेंगे।

अध्यक्ष—इसलिए आप नहीं उठा रहे हैं।

श्री गुप्तनाथ सिंह—मुझे बोलने का अधिक हक नहीं है। मंत्री महोदय के आश्वासन के बाद मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस ले लिया गया।